



राजस्थान-सरकार

न्यायालय उप जिला कलक्टर सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - ललित मीना (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या-22/2021

1-विमलेश पत्नी भीकमसिंह जाति धोबी निवासी रजौरा खुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
.....वादिया

बनाम

1-बत्तोदेवी पत्नी नेकराम जाति लोधा निवासी ग्राम छीता का पुरा तहसील सैपऊ जिला
धौलपुरप्रतिवादिया

2-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

..... तरतीवी प्रतिवादीगण

वाद वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति - 1- श्री शेषकुमार शर्मा एडवोकेट..... (वादिया)

2- श्री गिरीश व्यास एडवोकेट.....(प्रतिवादी संख्या-1)

निर्णय

दिनांक 16.11.2022

संक्षिप्त में उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते बटवारा विवादित आराजी खप्ता संख्या 65 के खसरा नम्बर 1584/257 रकवा 0.3920 हैक्टेयर वाके ग्राम कैथरी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या-1 स्वयं उपस्थित हुये एवं गुणावगुण के आधार पर दावा दिनांक 30.11.2021 को दावा वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारों के रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्रांक:राजस्व/2022/652 दिनांक 01.11.2022 विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें। विद्वान वादिया एवं प्रतिवादिया अभिभाषकगण को विभाजन सुना गया तथा विद्वान वादिया एवं प्रतिवादिया अभिभाषकगण द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री करने का निवेदन किया। तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के बावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है। ऐसी स्थिति में दावा वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम कैथरी तहसील सैपऊ के बावत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :-


उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

1-विमलेश पत्नी भीकमसिंह जाति लोधा सा0 रजौरा खुर्द खातेदार
क्र0सं0 ख0नं0 रकवा किस्म
1. 1584 / 257 / 1 0.1265 नहरी दोयम

योग किता- 1 रकवा-0.1265 हैक्टेयर

2-बत्तोदेवी पत्नी नेकराम जाति लोधा सा0 छीतापुरा खातेदार
क्र0सं0 ख0नं0 रकवा किस्म
1. 1584 / 257 / 2 0.2529 गै.मु.आबादी

योग किता-1 रकवा-0.2529 हैक्टेयर

3- पगड़ड़िया तथा रास्ते

क्र0सं0 ख0नं0 रकवा किस्म
1. 1584 / 257 / 3 0.0126 गै.मु.रास्ता

योग किता- 1 रकवा-0.0126 हैक्टेयर

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित *खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे एवं उभपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह एक-दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उप जिला कलक्टर
उपखसरा अधिकारी
सैपऊ



राजस्थान-सरकार

डिगरी व मुकदमे ईत्तदाई

अज अदालत - उप जिला कलक्टर सैपऊ
व इजलास -ललित मीना (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या-22/2021

1-विमलेश पत्नी भीकमसिंह जाति धोबी निवासी रजौरा खुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
.....वादिया

बनाम

1-बत्तोदेवी पत्नी नेकराम जाति लोधा निवासी ग्राम छीता का पुरा तहसील सैपऊ जिला
धौलपुर

2-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर
.....प्रतिवादिया

..... तरतीवी प्रतिवादीगण

वाद वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ ललित मीना (आर.ए.एस.) व
हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री शेषकुमार एडवोकेट एवं मिनजानिव मुद्दायलह श्री गिरीश
ब्यास एडवोकेट को पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है। कि दावा
वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त
स्थित वाकेग्राम कैथरी तहसील सैपऊ के बाबत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया
जाता है :-

1-विमलेश पत्नी भीकमसिंह जाति ^{धोबी 324} सा0 रजौरा खुर्द खातेदार

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	1584 / 257 / 1	0.1265	नहरी दोयम

योग किता- 1 रकवा-0.1265 हैक्टेयर

2-बत्तोदेवी पत्नी नेकराम जाति लोधा सा0 छीतापुरा खातेदार

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	1584 / 257 / 2	0.2529	गै.मु.आबादी

योग किता-1 रकवा-0.2529 हैक्टेयर

3- पगड़ड़िया तथा रास्ते

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	1584 / 257 / 3	0.0126	गै.मु.रास्ता


योग किता- 1 रकवा-0.0126 हैक्टेयर


उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे एवं उभपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह एक-दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

वशव्द मेरे एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.11.2022 को जारी की गई।




(ललित मीना)
उप जिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ